UPGK010023102026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश,गोरखपुर।
नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–983/2026,
जगदम्बा प्रसाद शुक्ला पुत्र स्व0 रामसूरत शुक्ला,
निवासी–डागीपार, थाना बांसगांव, जनपद गोरखपुर, हाल मुकाम तारामण्डल सिद्धार्थ इन्क्लेव, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिपक्षी,

मु0 अपराध संख्या–18/2026
धारा–318(4), 338, 336(3), 340(2), 352, 351(3)
भारतीय न्याय संहिता
थाना–खजनी, जनपद–गोरखपुर।

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त जगदम्बा प्रसाद शुक्ला, जो मु0 अपराध संख्या–18/2026 धारा–318(4), 338, 336(3), 340(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता थाना–खजनी, जनपद–गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन के कथनानुसार वादी मुकदमा स्वराज शुक्ला को गॉव में जमीन की आवश्यकता थी जिसके क्रम उसने गॉव के ही निवासी जगदम्बा शुक्ला से सम्पर्क किया। जगदम्बा शुक्ला ने कहा कि उसे रूपये की सख्त आवश्यकता है वह अपनी जमीन बेच रहा है। वादी को जमीन पसन्द आ जाने पर बातचीत के क्रम में जगदम्बा शुक्ला ने अपनी जमीन आराजी सं0 73 रकबा 0.648 हे0 में से रकबा 0.0432 हे0 अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा स्थित मौजा हरिहरपुर, तप्पा महसिन, परगना उनवल, तहसील खजनी, जनपद गोरखपुर को पॉच लाख रूपये में बेचने को तैयार हो गया। वादी ने दिनांक 20.11.2024 को दो लाख रूपये बैंक खाते में, दिनांक 21.10.2025 को मु0 रू. 1,70,000/– बैंक अंतरण व रू. 1,30,000/– नकद देकर दिनांक 21.10.2025 को अपने नाम से उक्त जमीन बैनामा करा लिया। बैनामा कराने के बाद दिनांक 26.10.2025 को उक्त बैनामाशुदा जमीन पर मेड़बंदी कराने वादी गया तो गांव की ही लालावती देवी पत्नी नागेश्वर प्रसाद वादी को मेड़बंदी करने से रोक दिया और कहा कि यह जमीन उसने जगदम्बा शुक्ला से दिनांक 21.05.2025 को बतौर बैनामा ली है और वह काबिज दखील है। वादी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वादी द्वारा उक्त जमीन को पूर्व मे विक्रय किये जाने के बारे में जगदम्बा प्रसाद से जब पूछताछ किया गया तो टाल–मटोल करने लगे। वादी द्वारा यह कहने पर कि उसने धोखा देकर पॉच लाख रूपया वादी का हड़प लिया है तो इसी पर जगदम्बा शुक्ला ने वादी को मॉ–बहन की भद्दी–भद्दी गाली देते हुए कहा कि अपना रूपया भूल जाओ मुझे जो करना था मैंने कर दिया तथा यदि इस घटना की सूचना पुलिस को दिये तब तुम्हारी हत्या कर दूॅगा। जगदम्बा शुक्ला ने वादी से छल व कपटपूर्वक, बेईमानीपूर्ण आशय से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नकली कूटकरण प्रपत्र को असली के रूप में प्रस्तुत करते हुए वादी का पॉच लाख रूपया हड़प लिया है।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक कई रोगों से ग्रसित है वादी मुकदमा व उनके साथ 2–3 लोग उक्त बैनामा में आये और आवेदक को बीमारी हालत में ले गये और

आवेदक समझ नहीं पाया कि किस गाटे के क्षेत्रफल का बैनामा हुआ है। आवेदक को वादी मुकदमा से कुल बैंक खाते में रू. 3,70,000/– प्राप्त हुआ जो आवेदक देने के लिये तैयार किया है। आवेदक ने जाबूझकर वादी मुकदमा के साथ छल नहीं किया है और न ही बेईमानी से उत्प्ररित किया है और न ही मूल्यवान प्रतिभूति बिल की कूटरचना किया है और न ही कूटरचित दस्तावेज को बेईमानी से असली के रूप में प्रयोग किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 01.03.2026 से जिल में निरूद्ध है।

4– अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा जानबूझ कर आर्थिक लाभ के लिये जिस जमीन को उसने पूर्व में अपनी सगी चाची को बैनामा किया था, उसी जमीन को बाद में छल कपट व कूटरचना करके वादी मुकदमा को रू. 5,00,000/– लेकर बैनामा कर दिया गया। जब वादी ने इस सम्बन्ध में आवेदक/अभियुक्त से पूछा तो उसने वादी को गाली–गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5– मैंने आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

6– आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा धारा–180 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत वादी मुकदमा का बयान अंकित किया गया है जिसमें उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कथनों का समर्थन किया है। विवेचक द्वारा केस डायरी में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शेष है। आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवं बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवं विचारण का विषय है।

7– सम्पूर्ण तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई ठोस आधार विद्यमान नहीं है।

8– निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त जगदम्बा प्रसाद शुक्ला की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O.Code No. 1889

दिनांक–03.04.2026

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.04.03 16:25:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court